संख्या : 13/2020/बी-1-765/दस-2020-231/2020

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग ।

2- अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
सिंचाई विभाग ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 23 दिसम्बर, 2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-2021 की वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट में प्रावधानित धनराशि के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनाँक 24 मार्च, 2020 तथा शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनाँक 07 अप्रैल, 2020 द्वारा जारी किये गये हैं ।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार के संसाधनों के उचित प्रबन्धन एवं कैश मैनेजमेन्ट की दृष्टि से, कार्यदायी संस्थाओं के बैंक खातों में अनावश्यक रूप से धनराशि न रखे जाने के उद्देश्य से निर्माण कार्य की अनुवर्ती किश्तें जारी किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-3(2) द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चूँकि लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग शासन के विभाग हैं और इनके द्वारा निर्माण कार्य, सी.सी.एल. / डी.सी.एल. प्रणाली के अन्तर्गत कराये जाते हैं । अतः उक्त शासनादेश दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-3(2) के प्रावधान लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों पर लागू नहीं होंगे, अपितु इन विभागों द्वारा निर्माण सम्बन्धी कार्य, उपरोक्त अंकित कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश दिनाँक 07 अप्रैल, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार कराये जायेंगे ।

3- शासनादेश दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 13/2020/बी-1-765(1)/दस-2020-231/2020, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।